बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग—१—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि १७ दिसम्बर, १९७५ ।

विषय-सूची पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—६, १२, ९, एवं १३ । १-१४

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—६३, १८४, से १८९ तक १९१ से १९४ तक, १९६ से २०० तक, २०४, २०६ से २०९ तक, २१६ से २२० तक, २२२ से २३० तक, २३४; २३५, २३८, २४०, २४२ से २४९ तक, २५२, २५३, २५७, २५८, २६२, २६३, २६५, २६६, १५-८१

अतारांकित प्रश्नोत्तर संख्या द-२, द-९, त-१, त-५, एवं त-८ । ८१-८४

परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)—परिशिष्ट ८५-९६

दैनिक निबंध ९७-९९

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों से उनके संशोधन नहीं प्राप्त हुए हैं ।

किसी भी गुमटी एवं दूकान की लोक निर्माण विभाग द्वारा बन्दोवस्ती नहीं की गयी है। जितने भी अतिक्रमण हटाये गये हैं वे सभी अनाधिकार रूप से ही पाये गये।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है। इस पर राज्यपाल के आदेशानुसार कार्रवाई की जा रही है एवं जाँच शीघ्र ही पूरी कर ली जायेगी।

पुल का निर्माण।

त-५। श्रीमती व्यूला दोजा—क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अन्तर्गत वारसोई प्रखण्ड में सरकार द्वारा आवादपुर से घुरनाथपुर तक एक सड़क बनाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के बीच में महानन्दा नदी पड़ती है, लेकिन उस पर कोई पुल बनाने की योजना सरकार की नहीं है;

(३) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त नदी पर पुल बनाने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री, लोक निर्माण विभाग—(१) उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। लेकिन आवादपुर से लेकर रघुनाथपुर तक जो पथ बन रहा है वह दो पथों का हिस्सा है, यथा—

(क) आवादपुर से वारसोई (पूर्णिया-कदवा-सोनौली-आजमनगर-आवादपुर पथ का अंश),

(ख) रघुनाथपुर-बलरामपुर पथ जो पूर्णिया-कदवा-सोनौली-आजमनगर-आवादपुर पथ के द्वितीय चरण के चौदहवें मील (वारसोई ग्राम) से प्रारम्भ होता है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) लोक निर्माण विभाग के लिये पंचम पंचवर्षीय योजना काल में अपनी प्रगतिशील योजनाओं को भी पूरा करना संभव नहीं है। इसलिये विभाग के लिये

कोई भी नयी योजना अपने हाथ में लेना मुश्किल है। अतः इस नदी पर पुल बनाने की निश्चित तिथि देना संभव नहीं है।

पुल का निर्माण।

त-८। श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, लोक निर्माण निभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत रेवा घाट में पौन्टुन पुल के निर्माण की योजना विगत कई वर्षों से लम्बित है, यदि हाँ, तो सरकार यातायात की आवश्यकता को देखते हुए उक्त पुल का निर्माण कबतक रखने का विचार रखती है?

प्रभारी मंत्री, लोक निर्माण विभाग—उत्तर स्वीकारात्मक है। यह बात सही है कि सारण और मुजफ्फरपुर जिला के बीच रेवा घाट पर गंडक नदी पर पौन्टुन पुल बनाने का निर्णय बिहार मंत्रीमंडल ने १९७३ में ही लिया था। पंचम पंचवर्षीय योजना में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित ७० करोड़ रुपये की योजना अधिसीमा के विरुद्ध मात्र ४५ करोड़ रुपये की योजना अधिसीमा निश्चित किये जाने के कारण जो लोक निर्माण विभाग की प्रगतिशील योजनाओं (पटना-गंगा पुल सहित) के शेष कार्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। अतः इस पुल का निर्माण कार्य पंचवर्षीय योजना में संभव नहीं है।

—ह० विश्वनाथ मिश्र
सचिव
बिहार विधान-सभा।

पटना,
दिनांक १७ दिसम्बर, १९७५।